न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर कोर्ट बालोतरा (राज0)

(पीठासीन अधिकारी रोहित कुमार आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या –: 133/2010

वादीगण –:

1. रतनसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
2. गिरधारीसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
3. वीरमसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
4. भीखूदेवी बेवा भंवरलालजी जाति राजपुरोहित समस्त निवासी रेवाडा सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज0)।

बनाम

प्रतिवादी –:

1. उदाराम पुत्र शिवलालजी कौम राजपुरोहित
2. धनसिंह पुत्र खेताजी कौम राजपुरोहित
3. शंकरसिंह पुत्र खेताजी कौम राजपुरोहित समस्त निवासी साकिन रेवाडा सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

दावा अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित –: श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता (वादीगण)

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 01)

निर्णय दिनांक 12.11.2020

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रेवाडा सोढा में खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 38.00 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा आये हुए है, जिसपर स्व. खेताजी के परिवार की पूराना कब्जा कास्त था वादीगण के पूर्वज सांसणदार (जागीरदार) थे, भूमि उनके खुदकास्त की होने से तथा वक्त सैटलमेन्ट एवम् कास्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त सम्वत् 2011–2012 में कब्जा कास्त होने से पर्चा संख्या 46 रजिस्ट्र संख्या 264 भवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेतराम पुरोहित के नाम जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

खेताजी के पुत्र भंवरलालजी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के बीच आपसी बाह्यमी तस्पिये से जबानी बंटवाडा हुआ जिसके अनुसार खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा वादीगण के पिता भंवरलालजी के हिस्से में रखा, इस भूमि पर वादीगण का परिवार काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता भंवरलालजी का कब्जा काश्त था उनके वफात् के पश्चात् वादग्रस्त भूमि वादीगण काबिज काश्त है वादीगण के कब्जे कास्त मे कभी किसी ने दखल नहीं दी।

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता भंवरलाल बाबा प्रतिवादी संख्या 2 धनजी व प्रतिवादी संख्या 3 शंकरजी के खुद काश्त जागीर की भूमि थी तथा भूमि पर उनका कब्जा काश्त होने से सैटलमेन्ट वालों ने पर्चा लगान व पर्चा खतौनी उनके नाम जारी की गयी तत्पश्चात् उपरोक्त खसरे की भूमि की खतौनी बनाते वक्त गलती से वादीगण के पिता का नाम जागीरदार के कॉलम मे लिख दिया तथा भूमि बिला कब्जा मुमकिन लिख दिया गया।

वादीगण के पिता भंवरलालजी ने अपने जीवनकाल मे उच्च अधिकारियों को खेत खसरा संख्या 25, 30, 32 की भूमि पर पूराने कब्जे व खुद कास्त की होने से भूमि उनके नाम खातेदारी मे दर्ज करने का निवेदन करने पर खसरा संख्या 25, 30 उनके खातेदारी मे लिख दिया परन्तु खसरा संख्या 32 उनके नाम खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया, तत्पश्चात् भंवरलालजी का देहान्त सम्वत् 2033 में हो गया, उस समय वादी संख्या 1 की उम्र 8 वर्ष, वादी संख्या 2 की उम्र 6 वर्ष, वादी संख्या 3 की उम्र 4 वर्ष की थी तथा वादिनी संख्या 4 अनपढ देहान्ती विधवा औरत थी उनके परिवार के पास गुजारे का साधन नहीं होने से बालोतरा आ गये तथा कास्त के वक्त रेवाडा सोढा जाते थे तथा भूमि पर कास्त करते थे वक्त जागीर से भूमि पर वादीगण के पूर्वजो व उनके पश्चात् वादीगण का भूमि पर कब्जा कास्त रहा व आज भी मौके पर हैं।

दिनांक 16.07.2010 को हल्का पटवारी ने बताया कि खसरा संख्या 32 को भूमि इस वक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी में है जो

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

किसी ताकतवर व्यक्ति को बैचान करने की फिराक में है तुम लोगों को भूमि पर से बेदखल कर देंगे जिसपर वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकलात् प्राप्त की तथा कानूनी सलाह ली गयी तो वकील साहब ने अपील की तथा साथ ही बालोतरा सहायक कलेक्टर कोर्ट मे दावा कर दो राजस्व रेकर्ड की नकलात प्राप्त होने पर पुख्ता ज्ञान हुआ कि खसरा संख्या 32 की भूमि अवैध तौर से प्रतिवादी संख्या 1 नाम गलत तौर दर्ज कर दी प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि पर कभी कब्जा कास्त नहीं रहा न आज मौके पर है. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को रेकर्ड दुरूस्ती हेतु कहां तो इन्कार हो गया।

खसरा संख्या 32 बिला अधिकार के वादीगण को बिना सुने अवैध व गलत तरह से बिला कब्जा मुमकिन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज कर दी भूमि खसरा संख्या 30 की रकबा 50.00 बीघा से ज्यादा होने से प्रतिवादी संख्या 1 को आंवटित नहीं की जा सकती थी लेकिन खसरा संख्या 32 की भूमि अपने नाम आवंटित करवा दी वक्त आंवटन भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द नहीं किया गया सारी कार्यवायी अवैध बिला अधिकार के अवैध व शून्य है। वादीगण ने खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा का काबिज खातेदार घोषित करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के सम्मन से तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थित हुआ तथा अपने लिखित कथनों के साथ काऊण्टर दावा पेश किया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने लिखित कथनों के जरिये वादीगण के दावा में लिखित कथनों को अस्वीकार किया तथा बताया कि वादग्रस्त खसरों की भूमि पर वादीगण के पूर्वज कभी सांसणदार नहीं थे न भूमि उनके खुद कास्त की न वक्त सैटलमेन्ट व कास्तकारी अधिनियम लागू होने के वक्त सम्वत् 2011–2012 में कब्जा कास्त था पर्चा लगान संख्या 46 भंवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेताराम पुरोहित के नाम गलत जारी हुआ हैं।

Scanned with CamScanner

उक्त खसरे की भूमि दिनांक 12.07.1972 को प्रतिवादी संख्या 1 को रजोटमेन्ट कमेटी द्वारा नियमन किया गया था जिसपर भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज की गयी खसरा संख्या 32 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा कास्त वक्त सैटलमेन्ट से आज दिन तक निरन्तर चला आ रहा हैं, तथा खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा में से 04.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आंवटन होने से उसके खातेदारी को घोषित करवाने हेतु काउण्टर दावा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि भूमि के भाव बढ जाने से तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच सामाजिक मन मुटाव होने से झूठा दावा पेश किया हैं।

प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने लिखित कथन पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के कथनों को स्वीकार कर वादीगण के दावें को माफिक इस्तदुआ डिक्री करने का निवेदन किया हैं।

वादीगण के दावें व प्रतिवादीगण के लिखित कथनों के आधार पर निम्नलिखित तनकियात बनायी गयी।

1. आया खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 30.00 बीघा, खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा सरहद मौजा रेवाडा सोढा का सैटलमेन्ट सम्वत् 2012 में पर्चा संख्या 46 भंवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेताराम के नाम जारी किया।

..... वादीगण।

2. आया वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3 के बीच आपसी जुबानी बंटवाडा के खेत खसरा संख्या 32 बीघा वादीगण के हिस्से में आया।

..... वादीगण।

3. आया खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा वादीगण अपने नाम काबिज खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

.... वादीगण।

4. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। .... वादीगण।

Scanned with CamScanner

5. आया खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा मे से 04.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन हुई।

... प्रतिवादी संख्या 1।

6. आया खसरा संख्या 30 रकबा 04.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

... प्रतिवादी संख्या 1।

7. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

... प्रतिवादी संख्या 1।

वादीगण ने उपरोक्त तनकीयात को साबित करने हेतु अपने वादपत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व रेकर्ड **EX 1** पर्चा लगान, **EX 2** पर्चा खतौनी, **EX 3** खसरा बन्दोबस्त, **EX 4** खतौनी बन्दोबस्त 2011, **EX 5** नक्शा लट्ठा ट्रेस, **EX 6** खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2013, **EX 7** व **EX 8** खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017, **EX 9** गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021, **EX 10** म्यूटेशन, **EX 11** खतौनी सम्वत् 2063 से 2066, **EX 12** ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, जबानी साक्ष में **PW 1** रतनसिंह, **PW 2** सकाराम, **PW 3** दीपराजसिंह, **PW 4** छगनसिंह, **PW 5** भगाराम बयान करवायें।

प्रतिवादी संख्या 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य में **EXA 1** नामान्तरकरण संख्या 18, **EXA 2** नामान्तरकरण संख्या 11, **EXA 3** आदेश पुस्ती का, **EXA 4** जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022, **EXA 5** जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030, **EXA 6** जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034, **EXA 7** जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, **EXA 8** खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2027 से 2029, **EXA 9** खतौनी बन्दोबस्त, **EXA 10** अपील की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की तथा जबानी साक्ष्य में **DW 1** स्वयं उदाराम पेश हुआ।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ताओं ने लिखित बहस पेश करने के पश्चात् जबानी बहस सुनी।

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता वादीगण ने तर्क दिया कि वादीगण के पूर्वज गांव रेवाडा सोढा के सांसणदार जागीरदार थे तथा खसरा संख्या 25, 30, 32 वादीगण के पूर्वजों भंवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेताराम के पाती की भूमि थी, भूमि के उक्त सांसणदार जागीरदारों की खुद कास्त भूमि थी।

राजस्थान भूमि सुधार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 प्रभाव में आया तो उक्त अधिनियम की धारा 10 खुद कास्त भूमि मे खातेदारी अधिकार किसी जागीर भूमि के पुर्नग्रहण की तारीख से किसी जागीरदार की कोई भी खुद कास्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार के रूप में धारित की गयी समझी जायेगी।

भूमि वर वक्त जागीर से तथा टिनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त सम्वत् 2011–2012 में वादीगण के पूर्वज सांसणदार का कब्जा कास्त था। जिस कारण सैटलमेन्ट अधिकारियों ने **EX 1** पर्चा लगान, **EX 2** पर्चा खतौनी, **EX 3** खसरा बन्दोबस्त उनको खातेदार कास्तकार दर्ज करे हुए जारी किया यानि कि भूमि उक्त सांसणदार की खुदकास्त भूमि होना माना गया, जो उक्त दस्तावेजात से साफ स्पष्ट हैं। खसरा गिरदावरी **EX 6, 7, 8** में भूमि भंवरलाल वगैरा की खुद कास्त होना मानकर उनके नाम गिरदावरी दर्ज की गयी।

सैटलमेन्ट में भूमि की पैमाईश 2009 मे हुई तथा खसरा निर्धारण कर खसरा बन्दोबस्त वगैरा जारी करने के पश्चात् सम्वत् 2011–2012 में जमाबन्दी तैयार की गयी। जमाबन्दी तैयार करते वक्त सैटलमेन्ट अधिकारियों भूलवंश भंवरलाल वगैरा सांसणदार के खुदकास्त भूमि उनके खातेदारी में दर्ज नहीं कर भंवरलाल वगैरा को जागीरदार के कॉलम में दर्ज कर भूमि बिला कब्जा मुमकिन दर्ज करते हुए **EX4** खतौनी बन्दोबस्त गलत बना दी। वादीगण अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सैटलमेन्ट अधिकारियों को पूर्व राजस्व रेकर्ड पर्चा लगान, पर्चा खतौनी, खसरा बन्दोबस्त में किये गये इन्द्राज को रिपिट करना था, सैटलमेन्ट अधिकारियों को बिना सक्ष्म न्यायालय के आदेश के वगैरा राजस्व रेकर्ड में किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार नहीं था, उन्होनें अपने

अतिरिक्त कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

तर्क के समर्थन मे **2003 RRD** पेज 175, **2008 (1) RRT** पेज 151, 2009 (2) **RLW (REV)** पेज 778 उदरत किये, साथ ही तर्क दिया कि राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज किया जाता है तो उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनने के पश्चात् ही किया जा सकता है, सैटलमेन्ट वालों द्वारा उक्त गलत इन्द्राज करने से पूर्व खातेदार भंवरलाल वगैरा को सुना नहीं गया वादीगण अधिवक्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2001 (1) **RLW 600** पेश किया।

सैटलमेन्ट अधिकारियों का कृत्य बिला अधिकार के होने से शुरू से अवैध व शून्य है। ऐसे इन्द्राज से वादीगण के हको पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता हैं।

अधिवक्ता वादी का तर्क रहा है कि वक्त आवंटन भूमि पर वादीगण के पूर्वज भंवरलाल वगैरा का कब्जा कास्त था उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया गया। भूमि विवाद रहित नहीं थी भूमि आंवटन व नियमन योग्य भी नहीं थी। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने 5 सालों तक लगातार भूमि पर कबजा होना साबित नहीं किया था, भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा न तो आवंटन से पूर्व था न आवंटन के पश्चात् मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा। भूमि का नियमन/ आवंटन भूमि के खुद कास्त कब्जेधारी भवंरलाल को बिना सुने किया गया न नियमों की पालना ही की गयी खातेदारी भूमि किसी भी तरीके से राज्य सरकार में निहित नहीं होता हैं। वादी अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **1994 RRD 665**, 1998 (2) **DNJ Raj** 535, 1989 **RRD** 23, 2008 (1) **RRT SC** 297, 2017 (1) **RRT** 63 पेश किये तथा साथ ही तर्क दिया कि बड़ी भूमि को छोटे टुकडों में बांटा नहीं जा सकता हैं। इस तर्क के सम्बन्ध में 2002 (2) **RRT** 1356 पेश की जहां आंवटन शुरू से अवैध व शून्य यानि वोइड एबइन्श्यों हो उसे रद्द करवाना आवश्यक नहीं हैं। वादी अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन मे 2015 (1) **DNJ Raj** 218 पेश किया, जहां आदेश वोइड एबइन्श्यों हो उसे किसी भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। वादी अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **1989 RRD** 45 पेश की। अधिवक्ता का तर्क रहा कि कोई गलत इन्द्राज राजस्व

Scanned with CamScanner

रेकर्ड में कर दिया है तो वादीगण के हकों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा क्योंकि गलत प्रविष्टी द्वारा जो बदलाव आया है वह अनाधिकृत था वादी अधिवक्ता से रूप में तर्क के समर्थन में 2001 (1) **RRT** 33 पेश की।

इसके साथ ही अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि इसके अलावा वादी ने जबानी साक्ष्य मे स्वयं वादी **PW 1** रतनसिंह पेश हो चुका है जिसने दावें में वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन कर साबित किया हैं। इसके अलावा के पाडौसीयों का गवाह के रूप में **PW 2** सकाराम, **PW 3** दीपराजसिंह, **PW 4** छगनसिंह, **PW 5** भगाराम को पेश किया है जिन्होंने स्पष्ट कथन किया है वादीगण के पूर्वज भूमि के सांसणदार थे तथा भूमि उनके खुदकास्त की भूमि हैं। भूमि पर 50 सालों से कब्जा कास्त वादीगण के पूर्वजों व वादीगण का देखते आये हैं।

वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य तथा जबानी साक्ष्य में भूमि वादीगण के पूर्वजों के खुदकास्त की तथा भूमि पर उनके सांसणदार जागीरदार होना साबित किया, वादीगण ने अपने पक्ष की तनकियात को बखुबी साबित किया हैं।

जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 के काऊण्टर क्लेम का प्रश्न है खेत खसरा संख्या 30 रकबा 50.18 बीघा का वादीगण के खातेदारी का है तथा भूमि पर उनका कब्जा कास्त हैं। उक्त भूमि मे से 04.00 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नियमन/आंवटन नहीं किया जा सकता था क्योंकि बडी भूमि को छोटे टुकडे मे तोडा नहीं जा सकता था। जिससे आवंटन योग्य भूमि नहीं थी न प्रतिवादी सख्या 1 ने न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है कि आवंटन/नियमन से पूर्व 5 वर्षों तक उसका भूमि पर लगातार कब्जा कास्त रहा हो। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क के समर्थन मे 2002 (2) **RRT** 1356 पेश की, न प्रतिवादी संख्या 1 ने वक्त आवंटन/नियमन के वक्त उसके नाम सनद जारी की उसे पेश किया है, न भूमि का कब्जा सुर्पद करने की फर्द ही पेश की है, न म्यूटेशन के पिछे आवंटन/नियमन सुदा 04.00

(S.D.O.)

क कलेक्टर
.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

बीघा भूमि का नक्शा ही दिया गया ऐसी सूरत मे भूमि का कब्जा ही प्रतिवादी संख्या 1 को सुर्पद नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 गवाह के रूप में पेश हुआ है कब्जा भूमि पर साबित करने हेतु खेतों के पाडौसियान या गांव रेवाडा सोढ़ा के किसी व्यक्ति को गवाह में पेश नहीं किया हैं।

DW 1 उदयसिंह के बयानों का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपनी जिरह में हर प्रश्न का उतर पता नहीं किया होना बताकर दिया है, लेकिन उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 30 बाबत् मैने कोई कार्यवायी नहीं की हैं। प्रतिवादी ने भूमि पर न तो कब्जा साबित किया है न वक्त नियमन भूमि का कब्जा उस सुपर्द किया ही साबित किया है न प्रतिवादी संख्या 1 न लगान की रसीदात ही पेश की हैं। जिससे तनकी संख्या 5, 6, 7 प्रतिवादी संख्या 1 साबित करने में कासीर रहा हैं।

अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नहीं, न साबित किया है ऐसी दशा मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा घोषणा का दावा बिना कब्जा मागे चलने योग्य नहीं है अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में 2011 (2) **RRT** 1170 पेश की।

अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 को जिन नियमों के तहत भूमि आवंटन/ नियमन की गयी उन नियमों के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष खातेदारी हक प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना चाहिये अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में 2015 (2) **RRT** 1244 पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 का काऊण्टर दावा खारिज करने तथा वादीगण का वादपत्र माफिक इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध डिक्री करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 तर्क दिया कि वक्त सैट्लमेन्ट खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा व खसरा संख्या 30

...क कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

रकबा 50.18 बीघा राजकीय भूमि थी जो तथ्य **EXA 9** से साबित है, भूमि बिना कब्जा मुमकिन नही है। जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नियमित रूप से रहा तो उसे भूमि दिनांक 12.07.1972 को 30.00 बीघा मे से 04.00 बीघा व खसरा संख्या 32 मे से 12.00 बीघा जमीन नियमन की गयी जिसका म्यूटेशन **EXA 2** बस गया, नियमन हुए 37 वर्ष हो चुके है, म्यूटेशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गयी, तथा 55 वर्ष तक दुरुस्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, भूमि नियमन होने के 37 साल बाद दावा पेश किया वादीगण ने नियमन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी जो जरिये विद्रोल खारिज करवा दी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने तर्क दिया की वादीगण का दावा खारिज करने योग्य हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने तर्क के समर्थन **RRP** 2011–12(सप्लीमेन्ट) पेश कर निवेदन किया कि वादीगण दावा में वर्णित तथ्यों को साबित नहीं कर सके हैं। अतः वादीगण का दावा खारीज फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को काऊण्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावें।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जबानी बहस को सुना व लिखित बहस का भी साथ–साथ अवलोकन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों द्वारा पेश न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक व ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन कर हम निम्न प्रकार तनकीयात पर निर्णय पारित करते है।

<u>तनकी संख्या 1</u>

1. वादीगण ने तनकी संख्या 1 को साबित करने हेतु दस्तावेज पर्चा लगान **EX 1** पेश किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्चा लगान के कॉलम संख्या 1 में भंवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेताराम कौम प्रीत सादेह सासणदार खुद काबिज का इन्द्राज है। कॉलम संख्या 2 में खसरा संख्या 25, 30, 32 दर्ज है, तथा कॉलम संख्या 3 में रकबा 38 बीघा, 50.18 बीघा, 12.00 बीघा का इन्द्राज

Scanned with CamScanner

हैं। दस्तावेज पर्चा खतौनी **EX 2** के कॉलम संख्या 2 में भंवरलाल, धना, शंकर पिसरान खेताराम कौम प्रोत सासणदार दर्ज है तथा कॉलम संख्या 3 में खुद काबिज तथा कॉलम संख्या 4 खसरा संख्या का तथा कॉलम संख्या 5 में उनके रकबे का इन्द्राज है। दस्तावेज **EX 3** खसरा बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 1 में खसरा संख्या का इन्द्राज है कॉलम संख्या 5 में भोरेलाल दर्ज है तथा कॉल संख्या 7 खुदकास्त दर्ज है। आगे इस दस्तावेज मे सम्वत् 2010 में की गयी कास्त का इन्द्राज हैं।

दस्तावेज **EX6, 7 , 8** के कॉलम संख्या 1 में खसरा संख्या 32, कॉलम संख्या 2 में क्षेत्रफल 12.00 बीघा कॉलम संख्या 5 भैरलाल खुद कास्त दर्ज है उक्त गिरदावरी वर्ष 2012 से 2013 तक की है। गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 में उपरोक्तानुसार इन्द्राज है लेकिन कॉलम संख्या 5 खुदकाश्त काटकर बिला कब्जा का इन्द्राज है वर्ष 2015 कॉलम संख्या 27 में खुदकास्त भंवरलाल धना शंकर सादेह गैरखातेदार वर्ष 2016 मे कॉलम संख्या 37 में बदस्तुर खरीफ भंवरलाल **S/o** खेतसिंह गैरखातेदार का इन्द्राज वर्ष 2017 में कॉलम संख्या 47 में बशरा सदर गैरखातेदार का कास्त करने का इन्द्राज हैं।

सम्वत् 2009 में सैटलमेन्ट के दौरान भूमि की पैमाईश की गयी तथा राजस्व रेकर्ड वर्ष 2011–2012 में तैयार किया गया वर्ष 2011 में राजस्व रेकर्ड तैयार करते वक्त सैटलमेन्ट वालो को राजस्व रेकर्ड में पूर्व में किये गये इन्द्राज की पुनरावृति मात्र करना था लेकिन सैटलमेन्ट अधिकारियों ने खतौनी बन्दोबस्त **EX4** मे भंवरलाल वगैरा का जागीरदार के कॉलम दर्ज कर वादग्रस्त भूमि जो वादीगण के पूर्वजों की खुदकास्त भूमि थी उसे बिला कब्जा मुमकिन दर्ज किया गया इस बारे में वादी अधिवक्ता का तर्क रहा कि वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज भूमि कर दी थी तो पूर्व से किये गये इन्द्राज को मात्र रिपिटेशन सैटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा करना था लेकिन बिना सक्षम न्यायालय के आदेश/ डिक्री के बिला

(S.D.O.) कलेक्टर बालोतरा

Scanned with CamScanner

अधिकार के भूमि वादीगण के पूर्वज भंवरलाल वगैरा के खाते मे दर्ज नहीं कर बिला कब्जा मुमकिन दर्ज कर दी गयी सैटलमेन्ट अधिकारियों को कृत्य बिना क्षेत्राधिकार के होने उक्त इन्द्राज अवैध व शून्य है इस तर्क के कथन में वादी अधिवक्ता का द्वारा पेश न्याय दृष्टान्त **2003 RRD 175, 2008(1) RRT 151, 2009 (2) RLW(REV.) 778** व **2001 (1) RLW 600** वर्तमान प्रकरण पर बखुबी लागू होते है। इस बातें में जो निर्णय होगा वह प्रिवेल करेगा।

PW 1 रतनसिंह ने भी अपने मुख्य बयानों में स्पष्ट कथन किया है कि हमारे पूर्वज सासणदार थे तथा भूमि हमारे खुदकास्त की थी, तथा जागीर के वक्त सम्वत् 2011–2012 में भूमि पर हमारा कब्जा कास्त होने से पर्चा लगान **EX 1** व पर्चा खतौनी **EX 2** व खसरा बन्दोबस्त **EX 3** सैटलमेन्ट वालों ने जारी किया। हमारे खातेदारी भूमि को बिला कब्जा मुमकिन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के वगैर कर दिया भूमि पर हमारा कब्जा कास्त हैं।

PW 2 सकाराम जो विवादित खेत का पाडौसी पेश हुआ जिसने भी अपने बयानों में कथन किया है, वादीगण के पूर्वज गांव रेवाडा सोढा का सासणदार जागीरदार थे, जमीन नपी तब भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा कास्त था उनके नाम पट्टा दिया गया था, मैं करीब 50 सालों से वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा कास्त देखता आ रहा हुँ। मौजुदा मे रतनसिंह कास्त करता हैं।

PW 3 दीपराजसिंह भी खेत का पाडौसी है जिसने भी अपने बयानों में कथन किया है कि मेरे खातेदारी का खेत इस खेत के सेढा सेढ आया हुआ है। वादीगण के पूर्वज गांव रेवाडा सोढा के सासणदार थे तथा खसरा संख्या 32, उनके खुद कास्त की भूमि थी, पर्चा रतनसिंह के पूर्वजों के नाम जारी किया गया था इस खसरे की भूमि पर मै अपनी समझ समझाईश में रतनसिंह वगैरा का कब्जा कास्त देखता आ रहा हुँ। खेत में रतनसिंह का छप्परा बना हुआ है तथा पत्थर डाले हुए हैं।

अतिरिक्त कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

PW 4 छगनसिंह ने भी अपने बयानों मे कथन किया है कि मैं पुस्तैनी रेवाडा सोढा का निवासी हुँ। रतनसिंह के पूर्वज गांव रेवाडा सोढा के सासणदार जागीरदार थे उनके खुदकास्त की भूमि रेवाडा सोढा में आयी हुई है जिसपर मैं 45 सालों से भंवरलाल वगैरा का कब्जा कास्त देखता आ रहा हुँ। भूमि पर रतनसिंह का छप्परा बना हुआ हैं।

PW 5 भगाराम ने अपने मुख्य बयानों में कथन किया है कि विवादित खेत से एक खेत छोडकर मेरा खेत आया हुआ है वक्त जागीर उक्त भूमि भंवरलाल के खुद कास्त की भूमि थी। जिसपर भंवरलाल स्वयं कास्त करता था उनके मृत्यु के पश्चात् वादीगण कास्त करते हैं।

उक्त गवाह ने की जिरह मे ऐसा कोई तथ्य या बात नहीं आयी है जो वादीगण के हकों के प्रतिकुल होकर उनको नुकसान पहुचाती हों।

DW 1 उदयसिंह ने जिरह में कथन किया है कि मुझे पता नहीं की भंवरलाल वगैरा का जारी पर्चा लगान **EX 1** निरस्त किया या नहीं। मुझे पता नहीं की भंवरलाल धना, शंकर पिसरान खेता रेवाडा सोढा के सासणदार जागीरदार हो, मुझे इस बात का पता नहीं है कि खसरा संख्या 25, 30, 32 भंवरलाल धनाराम पिसरान खेताजी की खुदकास्त भूमि होने से सैटलमेन्ट वालों ने सम्वत् 2011 में उनके खातेदारी में दर्ज की हो मुझे इस बात का पता नहीं की उपरोक्त खसरो का पर्चा लगान **EX 1** भंवरलाल धना पिसरान खेता के नाम सैटलमेन्ट वालों ने जारी किया हो, मुझे इस बात का पता नहीं की खसरा संख्या 25, 30, 32 भंवरलाल धना, शंकर पिसरान खेता सासणदार की खुद कास्त भूमि होने से व भूमिपर उनका कब्जा कास्त होने पर्चा संख्या 46 उनके नाम सैटलमेन्ट वालो ने जारी किया जो सही तौर पर जारी किया गया । तनकी संख्या 1 वादीगण ने अपने पक्ष में बखुबी साबित की है। **DW 1** भी वादीगण के कथनों को सर्पोट करता है। अतः तनकी संख्या 1 उपरोक्त विवेषण के अनुसार वादीगण के पक्ष में एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 2

वादीगण ने अपने वादपत्र से स्पष्ट कथन किया है कि आपसी जबानी बंटवाडा के खसरा संख्या 32 भंवरलाल के हिस्से में रखा गया था तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने भी इस तथ्य को अपने लिखित कथनों में स्वीकार किया है तथा **PW 1** रतनसिंह ने अपने बयानों से इस तनकी को बखुबी साबित किया हैं।

तनकी संख्या 3

तनकी संख्या 1 को निस्तारण करते वक्त दस्तावेजी साक्ष्य का जो विश्लेषण किया है उसके अनुसार सैटलमेन्ट अधिकारियों ने पूर्व के राजस्व रेकर्ड की पुनरावृति न कर मनमाने तरीके से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश, निर्णय डिक्री के राजस्व रेकर्ड में रद्दोबदली की हैं। सैटलमेन्ट अधिकारियों को पूर्व के राजस्व रेकर्ड को रिपिट करना होता हैं। उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं कर उन्हे बिना सुने बिला कब्जा मुमकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना गैरकानूनी व बिना अधिकार के था जैसाकि न्याय दृष्टान्त **2003 RRD 175, 2008(1) RRT 151, 2009 (2) RLW(REV.) 778** व **2001 (1) RLW 600** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया उससे हम सहमत है। प्रतिवादी द्वारा पेश न्याय दृष्टान्त मे तथ्य भिन्न होने से लागू नहीं होता हैं।

सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा भूमि को बिलाकब्जा मुमकिन दर्ज करने का कृत्य शुरू से अवैध व शून्य होने से वोईड एबइन्शयों है। अवैधता को किसी भी वक्त चुनौति दी जा सकती है, भूमि बिलाकब्जा मुमकिन दर्ज करने के पश्चात् की गयी तमाम कार्यवाही स्वतः ही अवैध हैं। वादग्रस्त भूमि विवाद रहित नहीं थी न वादीगण के पूर्वज उक्त कार्यवाही में पक्षकार थे। न भूमि आवंटन या नियमन योग्य नहीं थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 किया गया नियमन आवंटन नियम विरूद्ध होने से एवइन्यों वोइड हैं जिससे रद्द करवाना आवश्यक नहीं है। सम्वत 2009 में खतौनी बन्दोबस्त **EXA 9** नहीं बनी न उक्त दस्तावेज पर जारी करने का कोई सम्वत् ही

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अंकित किया हुआ हैं सम्वत् 2009 में भूमि की पैमाईश की गयी थी राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2010–2011 में तैयार किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में एवम् प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 4

तनकी संख्या 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है अतः तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5 व 6

दोनों तनकीयात एक दूसरे की कॉरिलेटिव होने एक साथ निर्णित किया जा रहा हैं। तनकी संख्या 5, 6 को प्रतिवादी संख्या 1 को साबित करना हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस तनकी को साबित करने हेतु **EXA** नामान्तरकरण 18 व आदेश पुस्तिका **EX A** 3 पेश की है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने सनद फीस जमा करवायी उसकी रसीद, सनद की प्रति व भूमि का कब्जा सुर्पदगी करने की फर्द पेश नहीं की है तथा भूमि खसरा संख्या 30 का रकबा 50.18 बीघा का है जिसे छोटे टुकडों में कर 04.00 बीघा भूमि आवंटन/ नियमन नहीं की जा सकती थी न प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि पर कब्जा साबित करने हेतु भूमि के स्वतंत्र पाडौसीयान को साक्ष्य मे पेश किया है तथा भूमि का वक्त सैटलमेन्ट बिला कब्जा मुमकिन दर्ज करना ही अवैध व बिला अधिकार के था तो भूमि आवंटन/नियमन करने योग्य भी नहीं थी। भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा साबित नहीं कर पाया है न भूमि के लगान की रसीदात प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्रावली पर पेश है। जिससे राज्य सरकार व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच भूमि धारक व टिनेन्ट का रिश्ता ही कायम नहीं हुआ प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि जिन नियमों के तहत आवंटन/ नियमन की गयी उन्हीं नियमों के तहत अधिकार प्राप्त करने हेतु कार्यवायी करना चाहिये था तथा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा कास्त नहीं है, कब्जे के दावे के अभाव में अधिकारों की घोषणा का दावा चलने

Scanned with CamScanner

ाय नहीं नहीं है अधिवक्ता वादी द्वारा पेश न्याय दृष्टान्त 2002 (2) RT 1356, 2015 (2) RRT 1244, 2011 (2) RRT 1170 पूर्ण रूप से लागू होते है। इन तनकियात को साबित करने हेतु DW 1 उदयसिंह प्रतिवादी स्वयं पेश हुआ जिसने जिरह में कथन किया है कि मुझे पता नहीं खसरा संख्या 30 भंवरलाल वगैरा के खातेदारी का है या नहीं यह बात सही है कि खसरा संख्या 30 बाबत् कोई कार्यावायी नहीं की हैं।

इसके विपरित वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य **EX 1, EX 2, EX 3** पेश किये है जिसके साबित है कि भूमि वादीगण के पूर्वज भंवरलाल वगैरा के खुदकास्त की भूमि थी जिसपर उनका वक्त जागीर से कब्जा कास्त रहा व टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ उस वक्त भी उनका कब्जा कास्त था जिससे उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया था।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 तनकी संख्या 5, 6 को सावित नहीं कर पाया है अतः उपरोक्त विशेषण अनुसार तनकी संख्या 5, 6 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 7</u>

तनकी संख्या 5, 6 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है प्रतिवादी संख्या 1 स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी ही होने से तनकी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध तय की जाती हैं।

अतः उपरोक्त विवेषण अनुसार वादीगण को वाद स्वीकार योग्य है वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का काऊण्टर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता हैं।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिकी किया जाकर खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा रेवाडा सोढा का वादीगण को काबिज खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। खसरा संख्या 32

क कलेक्टर
.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

रकबा 12.00 बीघा वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। वादीगण के पक्ष में एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उसके एजेन्ट मजदूर खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा में वादीगण के कब्जा में दखल नहीं करे, न करावें प्रतिवादी संख्या 1 काऊण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हों। सभी पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

[civil procedure code, Appendix 'D'1]

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. मुकाम बालोतरा

बइजलास– पीठासीन अधिकारी – रोहित कुमार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या –: 133 / 2010

गण –

1.रतनसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
2.गिरधारीसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
3.वीरमसिंह पुत्र भंवरलालजी जाति राजपुरोहित
4.भीखूदेवी बेवा भंवरलालजी जाति राजपुरोहित समस्त निवासी रेवाडा सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज0)।

बनाम

प्रतिवादी –:

1.उदाराम पुत्र शिवलालजी कौम राजपुरोहित
2.धनसिंह पुत्र खेताजी कौम राजपुरोहित
3.शंकरसिंह पुत्र खेताजी कौम राजपुरोहित समस्त निवासी साकिन रेवाडा सोढा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

<u>दावा अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवम् स्थाई निषेधाज्ञा</u>

राजस्व वाद संख्या –: 133 / 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण निजानिब मुद्दई वकील श्री चेलाराम कुमावत , व मिनजानिब प्रतिवादीगण मुदायलाह श्री अचलाराम थोरी है व डिगरी दी जाती है कि – वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिकी किया जाकर खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा रेवाडा सोढा का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। वादीगण के पक्ष में एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उसके एजेन्ट मजदूर खेत खसरा संख्या 32 रकबा 12.00 बीघा में वादीगण के कब्जा में दखल नहीं करे, न करावें व प्रतिवादी संख्या 1 काऊण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2020 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned with CamScanner